

झारखण्ड सरकार  
कल्याण विभाग।

3082  
28/11/14

आदेश

कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण प्रणाली के तर्ज पर सभी मेसो परियोजना प्रशासन का पुर्नगठन एवं सुदृढीकरण विभागीय संकल्प संख्या 645 दिनांक- 26.02.2009, अधिसूचना संख्या- 1612 दिनांक- 09.07.2010, अधिसूचना संख्या- 1611, दिनांक- 09.07.2010 तथा प्रशासनिक मार्गदर्शन (Administrative Guideline) ज्ञाप संख्या 2709 दिनांक- 26.11.2012 के द्वारा किया गया है। संकल्प के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलों में एक-एक आई०टी०डी०ए० (Integrated Tribal Development Agency {ITDA})की स्थापना किया गया है। समप्रति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण रूप से अच्छादित प्रत्येक जिला यथा राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, प० सिंहभूम, सरायकेला- खरसावाँ, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहेबगंज (कुल - 13) में एक-एक अभिकरण का स्थापना किया गया है। गढ़वा एवं गोड्डा में एक-एक अभिकरण स्थापित किया गया है, परन्तु इन जिलों के अनुसूचित क्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड ही इसमें शामिल होंगे।

2. अतः निम्नलिखित जिला कल्याण कार्यालय, विशिष्ट पदाधिकारी पहाड़िया कल्याण कार्यालय एवं मेसो परियोजना प्रशासन चक्रधरपुर को उनके नाम के सामने अंकित समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण में समाहित/विलय किया जाता है :-

क्र० सं०	आई०टी०डी०ए० का नाम	आई०टी०डी०ए० में समाहित/विलय जिला कल्याण कार्यालय/मेसो परियोजना प्रशासन कार्यालय का नाम
1	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, राँची।	जिला कल्याण कार्यालय, राँची।
2	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, खूँटी।	जिला कल्याण कार्यालय, खूँटी।
3	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, गुमला।	जिला कल्याण कार्यालय, गुमला।
4	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, लोहरदगा।	जिला कल्याण कार्यालय, लोहरदगा।
5	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, सिमडेगा।	जिला कल्याण कार्यालय, सिमडेगा।
6	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, लातेहार।	जिला कल्याण कार्यालय, लातेहार।
7	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम	जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम।
8	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, प० सिंहभूम।	1. जिला कल्याण कार्यालय, प० सिंहभूम। 2. मेसो परियोजना प्रशासन, चक्रधरपुर, प० सिंहभूम।
9	समन्वयिक अनुसूचित जनजाति विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ।	जिला कल्याण कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ।

28/11/14

10	समन्वयिक अनसूचित जनजाति विकास अभिकरण, दुमका	जिला कल्याण कार्यालय, दुमका।
11	समन्वयिक अनसूचित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा।	जिला कल्याण कार्यालय, जामताड़ा।
12	समन्वयिक अनसूचित जनजाति विकास अभिकरण, पाकुड़	जिला कल्याण कार्यालय, पाकुड़।
13	समन्वयिक अनसूचित जनजाति विकास अभिकरण, साहेबगंज।	जिला कल्याण कार्यालय, साहेबगंज।

1. संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अगले आदेश तक पूर्ववत् निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी बने रहेंगे।
2. सभी संबंधित उपायुक्त को निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ जिला कल्याण कार्यालय एवं मेसो परियोजना प्रशासन कार्यालय को आई०टी०डी०ए० में समाहित/विलय करने की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(सुनील कुमार वर्णवाल)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी०आई०टी०डी०ए०-232/10 3082

राँची, दिनांक: 28/11/14

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग/आदिवासी कल्याण आयुक्त/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उपविकास आयुक्त/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण, दुमका एवं साहेबगंज/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार वर्णवाल)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी०आई०टी०डी०ए०-232/10 3082

राँची, दिनांक: 28/11/14

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार वर्णवाल)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 4/सी०आई०टी०डी०ए०-232/10 3082

राँची, दिनांक: 28/11/14

प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार वर्णवाल)  
सरकार के सचिव।

6